Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

39-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 4, 2022 (PHALGUNA 13, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th March, 2022

No. 03-HLA of 2022/15/4334.— The Haryana Laws (Special Provisions) Amendment Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 03- HLA of 2022

THE HARYANA LAWS (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Laws (Special Provision) Act, 2019.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Laws (Special Provisions) Amendment Act, 2022. Short title.

2. For the long title of the Haryana Laws (Special Provisions) Act, 2019 (hereinafter called the principal Act), the following long title shall be substituted, namely:- Substitution of long title of Haryana Act 23 of 2019.

"to make special provisions for Districts of State falling under the National Capital Region and for matters connected therewith or incidental thereto.".

3. For sub-section (4) of section 1 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:- Amendment of section 1 of Haryana Act 23 of 2019.

"(4) It shall cease to have effect on the 30th June, 2025.".

4. In section 3 of the principal Act,- Amendment of section 3 of Haryana Act 23 of 2019.

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) The State Government within the period of validity of this Act shall make a policy for phasing out the specified agricultural purpose vehicle from the National Capital Region, Haryana.";

(ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) All notices issued by the State Government or any authority for any coercive action against any specified agricultural purpose vehicle only on the ground that such specified agricultural purpose vehicle has been registered for a period of ten years or more, shall be suspended and no coercive action shall be taken from the date of commencement of this Act till the 30th June, 2025.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In pursuance to various orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal and the Hon'ble Supreme Court of India from time to time, there is a complete ban on the operation of vehicles registered for a period of 10 years or more and operating on diesel as fuel in the area falling under National Capital Region (NCR). Accordingly, the operation of 10 year old vehicles including specified agriculture vehicles purpose is not allowed in the districts of Haryana falling in National Capital Region.

In order to provide the temporary relief to the farmers and other affected peoples residing in the districts of Haryana falling under NCR in respect of operation of specified agriculture propose vehicles, the Haryana Laws (Special Provisions) Act, 2019 was got notified by the State Government on 18.03.2019 having a validity of one year from the date of its commencement.

Now, the State Government is of the opinion that in view of the financial condition of the farmers and continue ban of operation of 10 year diesel vehicles in the NCR including specified agriculture vehicles, in pursuance of orders of Hon'ble National Green Tribunal/Supreme Court of India, it is necessary and expedient to enhance the validity of the said Act upto 30.06.2025 and in this period of time various policy issues and support for phasing out the specified agriculture vehicles from the National Capital Region are expected to be finalized.

MOOL CHAND SHARMA,
Transport Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 4th March, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 3–एच0एल0ए0

हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2022
हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2019
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2019 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् नाम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– 2019 के हरियाणा अधिनियम 23 के वृहत् नाम का प्रतिस्थापन।

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधीन आने वाले राज्य के जिलों के लिए और इससे संबंधित या इससे आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– 2019 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 1 का संशोधन।

"(4) यह 30 जून, 2025 को प्रभावहीन हो जाएगा।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,– 2019 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 3 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम की वैधता की अवधि के भीतर कृषि प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट वाहन को चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा से बाहर करने के लिए पॉलिसी बनाएगी।";

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(3) केवल इस आधार पर कि कृषि प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट ऐसे वाहन को दस वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत किया गया है, राज्य सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु किसी विनिर्दिष्ट वाहन के विरूद्ध किसी प्रपीड़क कार्रवाई करने के लिए जारी किए गए सभी नोटिस निलंबित हो जाएंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से 30 जून, 2025 तक कोई भी प्रपीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित विभिन्न आदेशों की अनुपालना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत और ईंधन के रूप में डीजल पर संचालित वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। तदानुसार हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों में कृषि प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट वाहनों सहित 10 साल पुराने डीजल चालित वाहनों के संचालन की अनुमति नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के जिलों में रहने वाले किसानों और अन्य प्रभावित लोगों को कृषि प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट वाहनों के संचालन के संबंध में अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2019 को 18.03.2019 को अधिसूचित किया गया था, जिसकी वैधता इसकी शुरुआत की तारीख से एक वर्ष तक थी।

अब, राज्य सरकार की राय है कि किसानों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कृषि प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट वाहनों सहित 10 साल पुराने डीजल संचालित वाहनों के संचालन पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण/सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिबंध जारी रहने के कारण उक्त अधिनियम की वैधता को 30.06.2025 तक बढ़ाना आवश्यक और लाभकारी है तथा इस अवधि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से कृषि प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए विभिन्न नीतिगत मुद्दों और समर्थन को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

मूल चन्द शर्मा,
परिवहन मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 4 मार्च, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9512—H.V.S.—H.G.P., Pkl.